

(2)

- 8— विद्यालय अधिनियम की धारा—19 में यथाविनिर्देश विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाये रखेगा।
अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधायें निम्नानुसार हैं—
- | | |
|--|--------------|
| विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल— | 4500वर्ग फिट |
| कुल निर्मित क्षेत्र— | 3920 वर्गफिट |
| क्रीड़ास्थल का क्षेत्रफल— | पर्याप्त है। |
| कक्षाओं की संख्या— | 10 |
| प्राध्यापक—सह कार्यालय—सह भण्डागार के लिये कक्षा—02 | |
| बालक और बालिकाओं के लिये पृथक् शौचालय— | उपलब्ध है। |
| पेयजल सुविधा— | उपलब्ध है। |
| मिड-डे—मील पकाने के लिये रसोई— | -- |
| बाधा रहित पहुँच— | उपलब्ध है। |
| अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपस्कर्ण/युस्तकालय की उपलब्धता— | है |
- 9— विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर—मान्यता प्राप्त कक्षायें नहीं चलायी जायेगी।
- 10— विद्यालय भवतों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जाता है।
- 11— विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम—1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
- 12— स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है।
- 13— विद्यालय के लेखाओं को किसी चार्टर्ड एकान्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये तथा उचित लेख विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये। प्रत्येक लेख विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिये।
- 14— आपको विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक प्रमाण में उपलब्ध है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्यांक का उल्लेख करें।
- 15— विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय—समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जायें।
- 16— सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाय।
- 17— विद्यालय प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रस्तुत कोई अभिलेख त्रुटिपूर्ण, फर्जी एवं असत्य पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से निर्गत मान्यता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण विधिक उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबन्धतंत्र का होगा।

भवदीय

(जयकरन यादव)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
वाराणसी। ३०/१५

पृष्ठों/बेसिक/ /2016-2017/ उसी तिथि को।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1— मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) पंचम मण्डल, वाराणसी।
2— सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, नगर/ग्रामीण क्षेत्र।

(जयकरन यादव)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
वाराणसी।